



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052021-226808
CG-DL-E-01052021-226808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1596]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 2021/वैशाख 10, 1943

No. 1596]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 2021/VAISAKHA 10, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2021

का.आ. 1720(अ).—जबकि, जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उपधारा (1) और (4) के द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 01 अक्टूबर, 2003 को और उस दिन से पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय में संख्या का.आ. 1147(अ) दिनांक 1 अक्टूबर, 2003 (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित किया गया है) की भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण नामक एक निकाय की स्थापना की है।

और जबकि, उक्त अधिसूचना में उल्लिखित सदस्यों की कार्य अवधि की समाप्ति के बाद, उक्त अधिसूचना को तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 497(अ) दिनांक 15 अप्रैल, 2004, का.आ. 262(अ) दिनांक 22 फरवरी, 2007, का.आ. 389(अ) दिनांक 15 फरवरी, 2010, का.आ. 3299(अ) दिनांक 31 अक्टूबर, 2013, का.आ. 1351(अ) दिनांक 07 अप्रैल, 2016, का.आ. 897(अ) दिनांक 21 मार्च, 2017 और का.आ. 1850(अ) दिनांक 11 जून, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

अतः अब जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 7 के उप-नियम(2) के साथ पठित जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उप-धारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उक्त अधिसूचना में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामशः-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (13) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा-

‘(13) श्री सी. अचलेंदर रेड्डी,
अयन्ना प्लाटीना अपार्टमेंट नं. 503,
प्लॉट नं. 490-493, रोड नं. 10,
काकतीया हिल्स, माधापुर,
आलमगीर मस्जिद के पास,
हैदराबाद-500081’

(जून, 2023 तक नियुक्त)

[फा.नं. जे-22018/46/2003-सीएससी (बीसी) वल्यू-III]

डा. एस केरकेट्टा, सलाहकार/वैज्ञानिक ‘जी’

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में, संख्या का.आ. 1147 (अ) दिनांक 1 अक्टूबर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात उसे अधिसूचना संख्या का.आ. 497 (अ) दिनांक 15 अप्रैल 2004, का.आ. 262 (अ) दिनांक 22 फरवरी, 2007, का.आ. 389 (अ) दिनांक 15 फरवरी, 2010, का.आ. 3299 (अ) दिनांक 31 अक्टूबर, 2013, का.आ. 1351 (अ) दिनांक 07 अप्रैल, 2016, का.आ. 897(अ) दिनांक 21 मार्च, 2017 और का.आ. 1850 (अ) दिनांक 11 जून, 2020 के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April 2021

S.O. 1720(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of section 8 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government has established a body called the National Biodiversity Authority, on and from the 1st day of October, 2003 for the purposes of the said Act *vide* notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1147(E), dated the 1st October, 2003 (hereinafter referred to as the said Notification);

And whereas, after the expiry of the term of the members mentioned in the said notification, the said notification was subsequently amended *vide* notifications numbers S.O. 497 (E), dated the 15th April, 2004, S.O. 262 (E), dated the 22nd February, 2007, S.O. 389 (E), dated the 15th February, 2010, S.O. 3299 (E), dated the 31st October 2013, S.O. 1351 (E), dated the 7th April, 2016, S.O. 897 (E), dated the 21st March, 2017 and S.O. 1850 (E), dated the 11th June, 2020.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of section 8 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), read with sub-rule (2) of rule 7 of the Biological Diversity Rules, 2004, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said Notification, namely:-

In the said Notification, for serial number (13) and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

“(13) Shri C. Achalender Reddy, (appointed upto 10th June, 2023)
Ayyanna Platina Apartment No. 503,
Plot No. 490-493, Road No.10,

Kakatiya Hills Madhapur,
Near Alamghir Masjid,
Hyderabad- 500081.”.

[F.No. J-22018/46/2003-CSC(BC)Vol.III]

Dr. S. KERKETTA, Advisor/Scientist ‘G’

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1147 (E), dated the 1st October, 2003 and subsequently amended *vide* notifications numbers S.O. 497 (E), dated the 15th April, 2004, S.O. 262 (E), dated the 22nd February, 2007, S.O. 389 (E), dated the 15th February, 2010, S.O. 3299 (E), dated the 31st October, 2013, S.O. 1351 (E), dated the 7th April 2016, S.O. 897 (E), dated the 21st March 2017 and S.O. 1850 (E), dated the 11th June, 2020.